आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 - आयकर प्राधिकरण - अधीनस्थ प्राधिकरणों को निर्देश आदेश [एफ. सं. 225/138/2014/आईटीए.II], दिनांक 24-7-2014

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के *स्पष्टीकरण* 2(ग) के अर्थ में आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2014 है। आयकर अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि करदाताओं की सुविधा के लिए, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2014 को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण सामान्य कार्यालय समय के दौरान आय विवरणी स्वीकार करने की व्यवस्था की जाए। यह निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

26, 27, 28, 30 और 31 जुलाई, 2014 को जहां भी आवश्यकता हो, अतिरिक्त रसीद काउंटर खोलकर भी विशेष व्यवस्था की जा सकती है, ताकि करदाताओं को आसानी से और समय पर अपनी आय विवरणी दाखिल करने में सुविधा हो सके। इन निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जा सकता है।

■■